न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 32 सन 2020
अनवान :–

1. सरोज देवी पत्नी स्व ताराचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन करोती तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी करोती तहसील नोहर।
2. रविकान्त पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी करोती तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही गौजा करोती के खाता संख्या 8/10 के खसरा न0 50 की 1.3660हैक भूमि खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीया के ससुर एवं ताराचन्द के पिता खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज है वादीया के ससुर एवं उसके पति ताराचन्द के पिता खेताराम वल्द किशनाराम का देहान्त हो चुका है खेताराम वल्द किशनाराम का वारिस उसका पुत्र ताराचन्द पुत्र खेताराम है जो अपने पिता के नाम से दर्ज भूमि को पाने का अधिकारी है।

ताराचन्द पुत्र खेताराम ने अपने जीवनकाल में परिवार की स्वैच्छा एवं अपनी स्वेच्छा से वाद भूमि की वसीयत अपनी पत्नी वादीया के पक्ष में दिनांक 17.06.2015 को करवाई गई थी ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है ताराचन्द पुत्र खेताराम के देहान्त होने पर उसकी वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है।

ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नि/पुत्र वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पेश होने के बाद लावल्द देहानत हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उनके पिता ताराचन्द की वसीयत के अनुसार वाद भूमि उनकी माता के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि वादीया वसीयत के अनुसार हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके दादा खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 2 के दादा खेताराम वल्द किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस उनके पिता ताराचन्द वल्द खेताराम है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पिता एवं वादीया के पति ताराचन्द पुत्र किशनाराम ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत दिनांक 17.06.2015 को वादीया के पक्ष में की गई थी ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतिवादी संख्या 1 लावल्द वाद पेश होने के बाद देहान्त हो चुका है ताराचन्द वल्द खेताराम की वसीयत दिनांक 17.06.2015 के अनुसार वाद भूमि वादीया के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे इकबाल पेश किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा करोती के खाता संख्या 8/10 के खसरा न0 50 की 1.3660हैक भूमि खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के ससुर एवं ताराचन्द के पिता खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज है वादीया के ससुर एवं उसके पति ताराचन्द के पिता खेताराम वल्द किशनाराम का देहान्त हो चुका है खेताराम वल्द किशनाराम का वारिस उसका पुत्र ताराचन्द पुत्र खेताराम है जो अपने पिता के नाम से दर्ज भूमि को पाने का अधिकारी है।

ताराचन्द पुत्र खेताराम ने अपने जीवनकाल में परिवार की स्वैच्छा एवं अपनी स्वेच्छा से वाद भूमि की वसीयत अपनी पत्नी वादीया के पक्ष में दिनांक 17.06.2015 को करवाई गई थी ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है ताराचन्द पुत्र खेताराम के देहान्त होने पर उसकी वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है।

ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पत्नि/पुत्र वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतिवादी संख्या 1 का वाद पेश होने के बाद लावल्द देहानत हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उनके पिता ताराचन्द की वसीयत के अनुसार वाद भूमि उनकी माता के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा करोती के खाता संख्या 8/10 के खसरा न0 50 की 1.3660हैक भूमि खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि उसके ससुर खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसका पुत्र ताराचन्द पुत्र खेताराम था जो वाद भूमि का हकदार था जिन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.06.2015 को वसीयत करवाई गई थी ताराचन्द पुत्र खेताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतिवादी संख्या 1 लावल्द फोत हो चुका है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
लोहर

Scanned with CamScanner

वादीया का कथन है कि वाद भूमि जो उसके ससुर के नाम से दर्ज है के देहान्त होने पर उसके पति जायज वारिस होने के कारण उसके पति ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत वादीया के पक्ष में की गई थी जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वसीयत के अनुसार वादीया के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी सख्या 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करोती के खाता संख्या 8/10 के खसरा न0 50 की 1.3660हैव भूमि खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सरोज देवी पत्नी स्व ताराचन्द जाति ब्राहमण साकिन करोती तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहमण निवासी करोती तहसील नोहर।
2. रविकान्त पुत्र ताराचन्द जाति ब्राहमण निवासी करोती तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 260 सन 2020 निर्णय दिनांक–21/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करोती के खाता संख्या 8/10 के खसरा न0 50 की 1.3660हैक भूमि खेताराम वल्द किशनाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner